न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

पत्रावली-पत्र संख्या :–151 / 2021 दायर दिनांकः 28.09.2021

RCMS NO:- 2021/293

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. बलराम आ0 हीरा जाति गुर्जर निवासी ग्राम रामगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. रंगलाल आ0 हीरा जाति गुर्जर निवासी ग्राम रामगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. हरलाल आ0 हीरा जाति गुर्जर निवासी ग्राम रामगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. शोजी आ0 हीरा जाति गुर्जर निवासी ग्राम रामगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. गोपी पुत्री हीरा जाति गुर्जर हाल पत्नी सूरजमल निवासी देई तहसील नैनवां जिला बून्दी।
6. नूरका पुत्री हीरा जाति गुर्जर हाल पत्नी भंवरलाल निवासी मुण्डली तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

––अप्रार्थी–

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थी संख्या 1 एवं अप्रार्थी।

निर्णय दिनांक 22.10.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम रामगंज पटवार मण्डल बांसी तहसील नैनवां में भूमि खाता संख्या नई 129 की खसरा संख्या 3482 रकबा 0.9465 हैक्टेयर प्रार्थीगण के संयुक्त आधिपत्य एवं खातेदारी कृषि भूमि है। यह कि उक्त भूमि पर आने जाने का रास्ता सरकारी भूमि खसरा संख्या 3483 रकबा 0.0162 हैक्टैयर में से होकर जाता है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए वादी को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थी नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार प्रार्थीगण के खेत पर पहुंचने के लिए मौके एवं रेकार्ड में कोई रास्ता मौजूद नहीं है। अतः ग्राम रामगंज के खसरा संख्या 3483 में से 20 गठ्ठा लम्बाई एवं 2 गठ्ठा चोडाई कुल 1742.4 वर्गफीट क्षेत्रफल का प्रस्तावित रास्ता दिया जाना है जिसे नक्शे में हरी स्याही से दर्शाया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट बांसी में पेश हुई । उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम रामगंज के खसरा संख्या 3483 में से 20 गठ्ठा लम्बाई एवं 2 गठ्ठा चोडाई कुल 1742.4 वर्गफीट क्षेत्रफल का, जिसे परिशिष्ट "अ" में हरी स्याही से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 14:55:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त का राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'अ' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 14:55:41 IST
Reason: SelfAttested